संख्या- 4/ 2017/ 689/ 77-1-2017-01(बजट)/ 2015टीसी

प्रेषक,

इन्द्रसेन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 24 मई, 2017

विषयः उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017 -231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017 -231/2017 दिनांक 20.03.2017 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु रू0 1,25,00,000.00 (रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैंः-

1. उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में व्यवस्थित धनराशि रू0 1,25,00,000.00 (रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेंगीं।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.5+03.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा आहरण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस- 2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन

http://shasnadesh.up.nic.in

सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

5. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।

6. स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए।

7. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

8. उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजेः-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

9. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- ''6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-01-वस्त्र उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-05-उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0 को कर्ज-30-निवेश/ ऋण' ' के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रसेन)
उपसचिव।

संख्या- 4/ 2017/ 689(1)/ 77-1-2017-01(बजट)/ 2015टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-

http://shasnadesh.up.nic.in

231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी -1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1 -348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर।

7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।

8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन।

9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रसेन)
उपसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in